

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1847

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम का संशोधन

1847. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार का विद्युत अधिनियम, 2003 में कोई संशोधन करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संशोधनों से छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जैसाकि तेलंगाना सरकार द्वारा रेखांकित किया गया है;

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधनों के कारण किसानों को बिजली के बिलों पर मिलने वाली राजसहायता के समाप्त होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किए जाने के बाद प्रशुल्क नीति में संशोधन करने का इरादा रखती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। राज्य सरकारों सहित हितधारकों से टिप्पणियां मांगते हुए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 का मसौदा 17 अप्रैल 2020 को प्रकाशित किया गया था। मसौदा प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ- साथ सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित प्रावधान, क्रॉस सब्सिडियाँ, विनियामक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति, अनुबंध प्रवर्तन तंत्र, भुगतान सुरक्षा तंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, वितरण उप-लाइसेंस का आरंभ आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों सहित हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जाएगी और संशोधन विधेयक के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल की जाएंगी।

(ग) : जी, नहीं। प्रस्तावित संशोधन से विद्युत क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को उचित दरों पर गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

(घ) : जी, नहीं। जरूरतमंदों को सब्सिडी जारी करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देने वाले प्रावधान को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारें, जैसा वे उचित समझें, किसी भी वर्ग को सब्सिडी प्रदान करना जारी रख सकती हैं। यह प्रस्ताव रखे जा रहे बेहतर लेखांकन, उच्च पारदर्शिता और उचित लक्ष्यीकरण के लिए डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी देने के लिए है।

(ङ) : टैरिफ नीति में समय-समय पर विद्युत क्षेत्र की बदलती जरूरतों के साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ लेने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए तालमेल बिठाने, हेतु संशोधित किया जाता है। टैरिफ नीति में संशोधन का प्रस्ताव पहले से ही विचारण के अग्रिम चरण में है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1860

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का वितरण

1860. श्री राहुल कस्वां:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के माध्यम से उत्पादित बिजली के वितरण के संबंध में केन्द्र सरकार और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत वितरण के संबंध में उक्त राज्यों के बीच कोई विवाद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क): पंजाब में जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के माध्यम से उत्पादित विद्युत के वितरण के संदर्भ में केन्द्र सरकार तथा पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ): जून 1996 में, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा भाखडा-नंगल परियोजनाओं में 01.11.1966 से तथा ब्यास परियोजनाओं में आरम्भ होने की तिथि से 7.19% हिस्सेदारी पर दावा करते हुए मूल मुकदमा सं. 2/96 द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.09.2011 के अपने निर्णय में भाखडा तथा ब्यास परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 7.19% की हिस्सेदारी की सहमति दे दी थी। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश को 01.11.2011 से भाखडा तथा ब्यास परियोजनाओं से विद्युत की 7.19% हिस्सेदारी उपलब्ध कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार को देय पिछले ऊर्जा बकायों के संदर्भ में, यह मामला न्यायलयाधीन है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1871

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1871. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से राज्यों में जल विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने संबंधी प्रस्तावित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान असम में जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) असम में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा वह अनुमानित समय-सीमा क्या है जिसके अंदर इन्हें पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 12973.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 38 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान असम में कोई जल विद्युत संयंत्र (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) संस्थापित नहीं किया गया है। तथापि, असम राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 668.155 मेगावाट के 5 ताप विद्युत संयंत्र चालू किए गए हैं। इन परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	जिला	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	जोड़ी गई वास्तविक क्षमता (मेगावाट)
1.	कोकराझाड़	बोंगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी	250
2.	डिब्रूगढ़	नामरूप कम्बाइन्ड साइकल गैस टरबाईन	एपीजीसीएल	62.25
3.	चराईदीओ	लखवा रीप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट	एपीजीसीएल	69.755
4.	कोकराझाड़	बोंगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी	250
5.	डिब्रूगढ़	नामरूप कम्बाइन्ड साइकल गैस टरबाईन	एपीजीसीएल	36.15
कुल				668.155

(ग) इस समय, असम राज्य में कोई जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) अथवा ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1871 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की राज्य-वार सूची

(31.08.2020 के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	निष्पादन के अधीन क्षमता (मेगावाट)
<b>आंध्र प्रदेश</b>			
1	पोलवराम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	960.00
<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>			<b>960.00</b>
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>			
2	कमेंग (नीपको) 2 यूनिटें प्रचालन में ली गईं	केंद्रीय	300.00
3	सुबानसिरी लोवर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00
<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>			<b>2300.00</b>
<b>हिमाचल प्रदेश</b>			
4	पारबती चरण II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00
5	यूरी-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100.00
6	साबरा कुड्डु (एचपीपीसीएल)	राज्य	111.00
7	शाँगटाँग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450.00
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	180.00
9	सोरंग (एचएसपीसीएल)	निजी	100.00
10	टांगनू रोमई (टीआरपीजी)	निजी	44.00
11	टिडोंग-I (स्टारक्राफ्ट आईपीएफ)	निजी	100.00
12	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	240.00
<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>			<b>2125.00</b>
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>			
13	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	1000.00
14	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	37.50
15	लोवर कल्नाही (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	48.00
16	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	624.00
17	# रातल (आरएचईपीपीएल / एनएचपीसी)	केंद्रीय	850.00
<b>उप-जोड़: जम्मू एवं कश्मीर</b>			<b>2559.50</b>
<b>केरल</b>			
18	पल्लीवासल (केएसईबी)	राज्य	60.00
19	थोट्टियार (केएसईबी)	राज्य	40.00
<b>उप-जोड़: केरल</b>			<b>100.00</b>
<b>मध्य प्रदेश</b>			
20	##महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400.00
<b>उप-जोड़: मध्य प्रदेश</b>			<b>400.00</b>
<b>महाराष्ट्र</b>			

21	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र)	राज्य	80.00
	<b>उप-जोड़: महाराष्ट्र</b>		<b>80.00</b>
<b>पंजाब</b>			
22	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल /इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंजाब)	राज्य	206.00
	<b>उप-जोड़: पंजाब</b>		<b>206.00</b>
<b>सिक्किम</b>			
23	तीस्ता चरण VI एनएचपीसी	केंद्रीय	500.00
24	भास्मेय (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51.00
25	रंगित -IV (जेएएल पावर)	निजी	120.00
26	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	66.00
27	रौंगनिचु (मध्य भारत)	निजी	96.00
28	पानन (हिमगिरि)	निजी	300.00
	<b>उप-जोड़: सिक्किम</b>		<b>1133.00</b>
<b>तमिलनाडु</b>			
29	कुंडाह पम्पड स्टोरेज फेज -I,II एवं III)	राज्य	500.00
	<b>उप-जोड़: तमिलनाडु</b>		<b>500.00</b>
<b>उत्तराखंड</b>			
30	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	171.00
31	तपोवन विष्णुगढ़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00
32	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00
33	विष्णुगढ़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	444.00
34	नैतवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	60.00
35	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	120.00
36	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	76.00
37	सिंगोली भटवारी (एल एंड टी)	निजी	99.00
	<b>उप-जोड़: उत्तराखंड</b>		<b>2490.00</b>
<b>पश्चिम बंगाल</b>			
38	रम्मम -III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	120.00
	<b>उप-जोड़: पश्चिम बंगाल</b>		<b>120.00</b>
		<b>कुल:</b>	<b>12973.50</b>

# जम्मू एवं कश्मीर सरकार, पीडीडी ने 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और परियोजना का कार्यभार संभालने के लिए जेकेएसपीडीसी को निदेश दिया है। संयुक्त उद्यम विधि में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 03.02.2019 को एनएचपीसी (51% भागीदारी) और जेकेएसपीडीसी (49% भागीदारी) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

## पीएफसी ने मुख्य ऋणदाता के रूप में 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में अधिकांश इक्विटी अर्थात् 51% हासिल कर ली है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1889

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

ईईएसएल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद

1889. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री वी.के. श्रीकंदन:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

डॉ जयंत कुमार राय:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) ने सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने हेतु इनकी खरीद की है;
- (ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ई.ई.एस.एल. द्वारा खरीदे गये इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लागत कितनी है एवं विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का भविष्य में स्थानीय रूप से विनिर्मित और अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ई.ई.एस.एल. द्वारा निविदा/बोली प्रक्रिया के बिना खरीदे गये इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ई.ई.एस.एल. ने देश में हजारों चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का इलेक्ट्रिक कारों तथा चार्जिंग सिस्टम का स्थानीय तौर पर विनिर्माण करने हेतु घरेलु विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने का विचार है; और
- (छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) का एक संयुक्त उद्यम, द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया गया था।

इन इलेक्ट्रिक कारों को किराये/एक मुश्त खरीद के आधार पर सरकारी विभागों, पीएसयूज तथा अन्यो को दिया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 1,514 ई-कारों को सरकारी विभागों, पीएसयूज और अन्यो में लगाया गया है।

भारत में पिछले कुछ महीनों में उच्च रेंज की ई-कारों की शुरूआत को ध्यान में रखते हुए, ईईएसएल ने उनके निष्पादन की जांच करने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर 17 ई-कारें खरीदी हैं। निष्पादन फीडबैक के आधार पर, भावी मांग के लिए खरीद की कार्रवाई को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है।

तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ईईएसएल ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 250 उच्च रेंज ई-कारों की खरीद की है। लागत एवं निर्माता-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ईईएसएल द्वारा खरीदे गए सभी ई-वाहनों की खरीद भारत में अपना निर्माण संयंत्र वाले निर्माताओं से की गई है। भविष्य में भी, ईईएसएल द्वारा ई-वाहनों की सभी खरीदे सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता देते हुए) आदेश के अनुसार की जाएंगी। इसके अलावा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम के अंतर्गत, ऐसे इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिनका निर्माण देश में ही हुआ है।

**(ड) :** ईईएसएल का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों के भारत में 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करना है। इस प्रयोजन के लिए, ईईएसएल ने स्थान मूल्यांकन अध्ययन करने और उनके कार्य-क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए नगर पालिकाओं और डिस्कॉमों में विविध हितधारकों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में ईईएसएल द्वारा स्थापित एवं चालू किए गए पीसीएस की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, ईईएसएल ने सभी कार्यालयों में जहां ईईएसएल के इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदायगी की गई है, 488 (308 ए.सी. और 180 डी.सी.) कैप्टिव चार्जर चालू किए हैं।

**(च) और (छ) :** घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने और मापक दक्षताओं के माध्यम से चार्जिंग अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से ईईएसएल द्वारा ई-वाहनों की खरीद एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना के लिए वस्तुओं को व्यापक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनका आयात किया जा रहा है तथा विनिर्माण केंद्र के माध्यम से भारत में चरण-बद्ध विनिर्माण के अंतर्गत इन वस्तुओं के प्रतिस्थापन का सुझाव दिया गया है।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2015 से फेम इंडिया स्कीम का संचालन कर रहा है। स्कीम के चरण-I को समय-समय पर विस्तार दिया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च, 2019 तक दिया गया था। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम का चरण-II 01 अप्रैल, 2019 से 3 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयनधीन है।

यह चरण सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण के समर्थन पर संकेद्रित है और इसका उद्देश्य लगभग 700 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर वाहनों 55,000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलर वाहनों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1889 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ईईएसएल द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत एवं निर्माताओं सहित ब्यौरा

इलेक्ट्रिक वाहन का मॉडल	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या	निर्माता	लागत करोड़ रुपये में
टाटा नेक्सन ईवीएक्सजेड+	150	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड	21.24 करोड़ (कर छोडकर)
हयुंदई कोना इलेक्ट्रिक प्रीमियम	100	मैसर्स हयुंदई मोटर इंडिया लिमिटेड	20.36 करोड़ (कर छोडकर)

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1889 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

भारत में ईईएसएल द्वारा संस्थापित एवं चालू किए गए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	चार्जर का प्रकार	संस्थापित एवं चालू किए गए सार्वजनिक चार्जरो की संख्या
1.	दिल्ली	एनडीएमसी	डीसी-001	64
2.		एसडीएमसी	सीसीएस/सीएचएडीईएमओ/ टाइप 2 एसी	
3.	तमिलनाडु	सीएमआरएल, चैन्नई	डीसी-001/एसी-001	10
4.	महाराष्ट्र	महा मेट्रो नागपुर	डीसी-001/एसी-001	2
5.	उत्तर प्रदेश	नोएडा प्राधिकरण	डीसी-001	9
6.	पश्चिम बंगाल	न्यू टाउन कोलकाता	डीसी-001/एसी-001	12
संस्थापित एवं चालू किए गए सार्वजनिक चार्जरो की कुल संख्या				97

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1897

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली प्रभारों पर लगाया गया कर

1897. श्री डी.के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार बिजली प्रभारों पर कितना कर लगाया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में विद्युत पर समान कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत पर लगाए गए शुल्क, कर, उपकर, अधिभार के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। भारत का संविधान कुछ प्रतिबंधों के अधीन, विद्युत शुल्क लगाने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाता है।

\*\*\*\*\*

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत शुल्क/कर/उपकर/अधिभार का विवरण निम्नलिखित है

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि	एलटी-उद्योग	एचटी-उद्योग	रेलवे ट्रेक्शन
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश (2017-18)	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.
3	अरुणाचल प्रदेश (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम (2018-19)	5%	5%	5%	5%	5%	5%
5	बिहार (2017-18)	6%	6%	4 पैसा/कि.वा.घं.	6%	6%	6%
6	चंडीगढ़ (2018-19)	9 पैसा/कि.वा.घं.	11 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य	11 पैसा/कि.वा.घं.	11 पैसा/कि.वा.घं.	-
7	छत्तीसगढ़ (2017-18)	8%	12%	शून्य	25 एचपी तक - 3% 25 एचपी से अधिक 75 एचपी तक - 4% 75 एचपी से अधिक 100 एचपी तक - 5% 100 एचपी से अधिक 150 एचपी तक पहुंच - 6%	20%	शून्य
8	दादरा एवं नगर हवेली (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दमन एवं दीव (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	दिल्ली (2017-18)	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11	गोवा (2018-19)	20 पैसा/कि.वा.घं.	70 पैसा/कि.वा.घं.	20 पैसा/कि.वा.घं.	70 पैसा/कि.वा.घं.	70 पैसा/कि.वा.घं.	-
12	गुजरात (2017-18)	ग्रामीण क्षेत्र - 7.5% शहरी क्षेत्र - 15%	25%	शून्य	10%	15%	शून्य
13	हरियाणा (2017-18)	10 पैसा/कि.वा.घं.	10 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य	10 पैसा/कि.वा.घं.	10 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
14	हिमाचल प्रदेश (2018-19)	3%	8%	10%	लघु उद्योग 2% मध्यम उद्योग 7%	11%	11%
15	जम्मू एवं कश्मीर (2017-18)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
16	झारखंड	250	250	2	5 पैसा/कि.वा.घं.	5 पैसा/कि.वा.घं.	15 पैसा/कि.वा.घं.

	(2017-18)	कि.वा.घं./माह तक - 20 पैसा/कि.वा.घं. 250 कि.वा.घं./माह से अधिक - 24 पैसा/कि.वा.घं.	कि.वा.घं./माह तक - 24 पैसा/कि.वा.घं. 250 कि.वा.घं./माह से अधिक - 30 पैसा/कि.वा.घं.	पैसा/कि.वा.घं.			
17	कर्नाटक (2017-18)	6%	6%	शून्य	6%	6%	6%
18	केरल (2018-19)	10%	10%	10%	10%	10 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
19	लक्षद्वीप (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	मध्य प्रदेश (2018-19)	100 कि.वा.घं./माह तक - 9%	50 कि.वा.घं./माह तक - 9%	शून्य	150 एचपी तक - 9%	15%	शून्य
		100 कि.वा.घं./माह से अधिक - 12%	50 कि.वा.घं./माह से अधिक - 15%				
21	महाराष्ट्र (2017-18)	16%	21% अतिरिक्त कर - 9.04 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य	9.3% अतिरिक्त कर - 9.04 पैसा/कि.वा.घं.	9.3% अतिरिक्त कर - 9.04 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
22	मणिपुर (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	मेघालय (2017-18)	5 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	15000 कि.वा.घं./माह तक - 5 पैसे/कि.वा.घं.	शून्य	शून्य
					अगले 25000 कि.वा.घं./माह - 4.5 पैसे/कि.वा.घं.		
					40000 कि.वा.घं./माह से अधिक - 3 पैसे/कि.वा.घं.		
24	मिजोरम (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	नागालैंड (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	ओडिशा (2017-18)	4%	4%	2%	5%	8%	शून्य
27	पुद्दुचेरी (2018-19)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	पंजाब (2017-18)	13%	13%	13%	13%	13%	13%
29	राजस्थान (2018-19)	40 पैसा/कि.वा.घं.	40 पैसा/कि.वा.घं.	मीटरिकृत आपूर्ति - 4 पैसा/कि.वा.घं. और गैर-मीटरिकृत आपूर्ति - 425 पैसा/कि.वा.घं.	40 पैसा/कि.वा.घं.	40 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
		09.03.2011 से प्रभावी शहरी उपकर 15 पैसा/कि.वा.घं.	01.09.2009 से प्रभावी जल उपकर 10 पैसा/कि.वा.घं.				

			09.03.2011 से प्रभावी शहरी शुल्क 15 पैसा/कि.वा.घं.		09.03.2011 से प्रभावी शहरी उपकर 15 पैसा/कि.वा.घं.	शहरी उपकर 15 पैसा/कि.वा.घं.	
30	सिक्किम (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31	तमिलनाडु (2017-18)	शून्य	5%	शून्य	5%	5%	शून्य
32	तेलंगाना (2018-19)	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य	6 पैसा/कि.वा.घं.	6 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
33	त्रिपुरा (2017-18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34	उत्तराखंड (2017-18)	10 किलो वाट तक -15 पैसा/कि.वा.घं.	50 किलो वाट तक -15 पैसा/कि.वा.घं.	10 किलो वाट तक -15 पैसा/कि.वा.घं.	50 किलो वाट तक - 20 पैसा/कि.वा.घं.	50 पैसा/कि.वा.घं.	शून्य
		10 किलो वाट से अधिक - 30 पैसा/कि.वा.घं.	50 किलो वाट से अधिक - 30 पैसा/कि.वा.घं.	10 किलो वाट से अधिक - 30 पैसा/कि.वा.घं.	50 किलो वाट से 75 किलो वाट तक -40 पैसा/कि.वा.घं.		
35	उत्तर प्रदेश (2017-18)	5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	शून्य
36	पश्चिम बंगाल (2017-18)		150 कि.वा.घं./माह तक - शून्य	शून्य	500 कि.वा.घं./माह तक - शून्य	15%	शून्य
		300 कि.वा.घं./माह तक - शून्य	>150 लेकिन <=500 कि.वा.घं./माह - 10%		>500 लेकिन <=2000 कि.वा.घं./माह - 2.5%		
		300 कि.वा.घं./माह से अधिक - 10%	>500 लेकिन <=1000 कि.वा.घं./माह - 12.5%		>2000 लेकिन <=3500 कि.वा.घं./माह - 7.5%		
		>1000 कि.वा.घं./माह - 15%			>3500 कि.वा.घं./माह - 12.5%		

**टिप्पणी:** 1. उत्तर प्रदेश में, विद्युत शुल्क दर प्रभार के प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है।

2. केरल में विद्युत शुल्क केवल ऊर्जा प्रभार पर वसूला जाता है।

3. ओडिशा में विद्युत शुल्क की अधिकतम सीमा ज्यादा से ज्यादा 200 पैसा/कि.वा.घं. तक तथा ऊर्जा प्रभारों पर 15 प्रतिशत होगी।

4. राजस्थान में, यदि घरेलू उपभोक्ता 100 यूनिट प्रति माह से कम खपत करते हैं, तो कोई शहरी उपकर वसूला नहीं जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1928

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

श्रीसेलम विद्युत संयंत्र में अग्निकांड

1928. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का किसी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए श्रीसेलम विद्युत संयंत्र में हाल ही में हुए अग्निकांड की दुर्घटना जिसमें शामिल राज्य के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई कर्मचारियों की जान चली गई और सैंकड़ों करोड़ के उपकरण खराब हो गए, की कोई जांच शुरू करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का भी इस दुखद घटना को अंजाम देने वाली तकनीकी कमी को समझने के लिए 'केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण' के अंतर्गत एक जांच शुरू करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : श्रीसेलम विद्युत संयंत्र तेलंगाना सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक राज्य-स्तरीय परियोजना है। तेलंगाना सरकार ने आग लगने के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करने और कारणों को अभिनिर्धारित करने के लिए 21.08.2020 के आदेश के द्वारा पहले ही सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त, आग लगने के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करने और कारणों को अभिनिर्धारित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसजेनको) द्वारा दिनांक 23.08.2020 के आदेश द्वारा सीएमडी, तेलंगाना राज्य दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल) की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2018 के उपबंधों के तहत मामले में कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1998

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

श्रीसेलम विद्युत संयंत्र में अग्निकांड

1998. श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दिल्ली में चल रही/आने वाली ताप, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की सूची जारी की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में ऐसी प्रत्येक परियोजना शुरू करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक गैर लाइसेंसीकृत कार्य है। अतः, विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना में निवेश संबंधित विकासकर्ता द्वारा किया जाता है। इसलिए, मामला दर मामला आधार पर ऐसी परियोजनाओं की संस्थापना हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी में योगदान को छोड़कर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत/आवंटित नहीं की जाती है।

जहां तक देश में सौर तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संबंध है, भारतीय सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन (एसईसीआई) ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) के बाद परिणाम तथा सौर, पवन, हाइब्रिड एवं रूफटॉप स्कीमों के अंतर्गत शुरू की परियोजनाओं की सूची को एसईसीआई के अधिकारिक वेबसाइट [www.seci.co.in](http://www.seci.co.in) के आरटीआई प्रभाग के अंतर्गत प्रकाशित किया है तथा इसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। परियोजना अवार्ड करने के पश्चात् उसे चल रही परियोजनाओं की श्रेणी में गिना जाता है। देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। निर्माणाधीन/चल रही सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-II तथा अनुबंध-III में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1998 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक आरम्भन शेड्यूल	अनुमानित पारेषण शेड्यूल/सीओडी
<b>केन्द्रीय क्षेत्र</b>					
1	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अगस्त-09	दिसम्बर-20
		यू-2	660	जून-10	सितम्बर-21
		यू-3	660	अप्रैल-11	अप्रैल-22
2	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	नवम्बर-13	फरवरी-21
3	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-2	660	जुलाई-17	जनवरी-21
		यू-3	660	जनवरी-18	अगस्त-21
4	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	फरवरी-18	अक्टूबर-21
		यू-2	660	अगस्त-18	अप्रैल-22
		यू-3	660	फरवरी-19	अक्टूबर-22
5	गदरवारा एसटीपीपी	यू-2	800	सितम्बर-17	अक्टूबर-20
6	दालीपल्ली एसटीपीपी	यू-2	800	जून-18	फरवरी-21
7	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-2	500	मार्च-18	अक्टूबर-20
8	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	जनवरी-20	अक्टूबर-21
		यू-2	800	जुलाई-20	मार्च-22
9	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660	दिसम्बर-16	अक्टूबर-20
10	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-6	660	फरवरी-20	मार्च-21
11	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-20	अप्रैल-21
		यू-2	660	अक्टूबर-20	अक्टूबर-21
		यू-3	660	अक्टूबर-20	मार्च-22
12	बरसिंगसर टीपीपी एकस्टे.	यू-1	250	मई-20	रोका गया
13	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250	मई-20	रोका गया
14	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	जनवरी-22	सितम्बर-22
		यू-2	800	सितम्बर-22	मार्च-23
		यू-3	800	दिसम्बर-22	सितम्बर-23
15	राऊरकेला पीपी-II एकस्पेंशन	यू-1	250	दिसम्बर-18	अप्रैल-21
16	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660	मार्च-23	अप्रैल-23
		यू-2	660	सितम्बर-23	सितम्बर-23
17	बक्सर टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जुलाई-23
		यू-2	660	जनवरी-24	जनवरी-24
<b>राज्य क्षेत्र</b>					
1	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	जून-19	नवंबर-20
2	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	मार्च-19	दिसम्बर-20
3	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-8	660	दिसम्बर-16	दिसम्बर-20
4	भद्रादरी टीपीपी	यू-2	270	मई-17	अक्टूबर-20
		यू-3	270	जुलाई-17	जनवरी-21
		यू-4	270	सितम्बर-17	जनवरी-21
5	एन्नोर एकस्पें. एससीटीपीपी	यू-1	660	जनवरी-18	दिसम्बर-23

6	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जनवरी-18	अगस्त-21
		यू-2	660	मार्च-18	नवंबर-21
7	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	मार्च-19	जनवरी-21
8	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	मार्च-19	मार्च-23
		यू-2	800	अक्टूबर-19	सितम्बर-23
9	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	जून-19	अप्रैल-21
10	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	मार्च-18	नवंबर-20
11	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	सितम्बर-20	फरवरी-22
		यू-2	660	जनवरी-21	अगस्त-22
12	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	सितम्बर-20	जनवरी-21
		यू-2	660	दिसम्बर-20	नवंबर-21
13	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	सितम्बर-20	अक्टूबर-22
		यू-2	800	सितम्बर-20	अक्टूबर-22
		यू-3	800	मार्च-21	जून-23
		यू-4	800	मार्च-21	जून-23
		यू-5	800	सितम्बर-21	अक्टूबर-23
14	पंकी टीपीएस एक्सपें.	यू-1	660	जनवरी-22	जनवरी-22
15	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	फरवरी-21	मार्च-23
		यू-2	660	फरवरी-21	सितम्बर-23
16	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	नवम्बर-21	जून-22
<b>निजी क्षेत्र</b>					
1	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अक्टूबर-13	अनिश्चित
		यू-2	660	मार्च-14	अनिश्चित
2	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	मई-12	संकटग्रस्त
		यू-4	350	अगस्त-12	संकटग्रस्त
3	अकालतारा टीपीपी	यू-4	600	अप्रैल-13	संकटग्रस्त
		यू-5	600	अगस्त-13	अनिश्चित
		यू-6	600	दिसम्बर-13	अनिश्चित
4	सिरिया टीपीपी	यू-1	660	अगस्त-14	अनिश्चित
		यू-2	660	दिसम्बर-14	अनिश्चित
		यू-3	660	अप्रैल-15	अनिश्चित
		यू-4	660	अगस्त-15	अनिश्चित
5	बिजकोट टीपीपी	यू-3	300	मार्च-14	अनिश्चित
		यू-4	300	जून-14	अनिश्चित
6	लेंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जनवरी-12	अनिश्चित
		यू-4	660	मार्च-12	अनिश्चित
7	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600	नवम्बर-14	अनिश्चित
		यू-2	600	फरवरी-15	अनिश्चित
8	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	सितम्बर-11	अनिश्चित
9	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600	अगस्त-13	अनिश्चित
10	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	अप्रैल-12	अनिश्चित
		यू-2	270	मई-12	अनिश्चित
11	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	अक्टूबर-12	अनिश्चित
		यू-4	270	जनवरी-13	अनिश्चित
12	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	जुलाई-12	अनिश्चित
		यू-2	600	सितम्बर-12	अनिश्चित
13	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	दिसम्बर-15	अनिश्चित
14	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुलाई-14	अनिश्चित

		यू-2	270	सितम्बर-14	अनिश्चित
		यू-3	270	नवम्बर-14	अनिश्चित
		यू-4	270	जनवरी-15	अनिश्चित
		यू-5	270	मार्च-15	अनिश्चित
15	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-14	अनिश्चित
		यू-2	660	नवम्बर-14	अनिश्चित
16	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अप्रैल-13	अनिश्चित
		यू-2	270	जून-13	अनिश्चित
		यू-3	270	अगस्त-13	अनिश्चित
		यू-4	270	अक्तूबर-13	अनिश्चित
		यू-5	270	दिसम्बर-13	अनिश्चित
17	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	दिसम्बर-16	अनिश्चित
		यू-2	300	मार्च-17	अनिश्चित
18	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150	अप्रैल-15	अनिश्चित
19	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित
20	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	दिसम्बर-11	अनिश्चित
21	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसम्बर-11	अनिश्चित
		यू-2	350	फरवरी-12	अनिश्चित
		यू-3	350	फरवरी-12	अनिश्चित
22	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	अनिश्चित
		यू-2	660	अगस्त-13	अनिश्चित
23	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	दिसम्बर-12	अनिश्चित
		यू-2	525	फरवरी-13	अनिश्चित
24	तूतीकोरिन टीपीपी	यू-1	660	मई-12	अनिश्चित
25	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	सितम्बर-18	जनवरी-21
26	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150	मई-16	अनिश्चित

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एसईसीआई के अंतर्गत चालू सौर परियोजनाएं

क्र. सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	एलओए की तिथि
<b>5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम, राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के अधीन परियोजनाएं</b>			
1.	कडापा सौर पार्क, आंध्र प्रदेश	750	30.08.2018
<b>स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन्स, राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के अधीन परियोजनाएं</b>			
2.	आईएसटीएस (ट्रेंच-I)	1950	27.07.2018
3.	आईएसटीएस (ट्रेंच-II)	600	10.08.2018
4.	राजस्थान, एसटीयू कनेक्टिड (ट्रेंच-I)	750	02.03.2019
5.	फ्लोटिंग सौर, रिहंद डैम, उत्तर प्रदेश	150	05.09.2019
6.	आईएसटीएस (ट्रेंच-III)	1200	01.03.2019
7.	आईएसटीएस (ट्रेंच-IV)	1150	25.07.2019
8.	सीपीएसयू स्कीम फेज-II (ट्रेंच-I)	922	28.09.2019
9.	राजस्थान, एसटीयू कनेक्टिड (ट्रेंच-II)	680	16.09.2019
10.	विनिर्माण के साथ आईएसटीएस (फेज-II)	12000	10.12.2019, 08.06.2020, 23.07.2020
11.	आईएसटीएस(ट्रेंच-V)	480	28.09.2019
12.	आईएसटीएस (ट्रेंच-VI)	900	25.11.2019
13.	सीपीएसयू स्कीम फेज-II (ट्रेंच-II)	1104	25.11.2019
14.	आईएसटीएस (ट्रेंच-VIII)	1200	06.04.2020
15.	आईएसटीएस (ट्रेंच-IX)	2000	15.07.2020

\*चालू की गई क्षमता/मुकद्मेबाजी के अधीन ब्यौरों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

एनएचपीसी की चालू सौर परियोजनाएं

I. अवार्ड की गई परियोजनाएं (डेवलपर मोड)

क्र.सं.	परियोजना	अवार्ड की गई क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
1.	एनएचपीसी आरएफएस	2000	2000

II. अवार्ड की गई परियोजनाएं (ईपीसी मोड)

क्र.सं.	परियोजना	अवार्ड की गई क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
1.	विभिन्न एनएचपीसी स्थानों पर रूफ टॉप सौर परियोजनाएं	1.59	1.59

III. निविदा के तहत परियोजनाएं (ईपीसी मोड)

क्र.सं.	परियोजना स्थान	निविदा क्षमता (मेगावाट)	प्रकार	स्थिति
1.	ओडिशा, गंजन जिला	40	केन्द्रीय	बिड प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख 21.09.2020 है।
2.	पश्चिमी कल्लड़ा, केरल	50	केन्द्रीय	बिड प्राप्त तथा मूल्यांकनाधीन

**एनटीपीसी की चालू सौर-परियोजनाएं**

**क) एनटीपीसी की अपनी चालू सौर परियोजनाओं का विवरण**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अवार्ड की गई क्षमता (मेगावाट)	परियोजना स्थान
1.	बिल्हौर सौर पीवी परियोजना	140	बिल्हौर
2.	बिल्हौर सौर पीवी परियोजना	85	बिल्हौर
3.	औरैया सौर पीवी परियोजना	20	औरैया
4.	रामागुडम फ्लोटिंग सौर पीवी परियोजना	100	रामागुडम
5.	सिम्हाद्री फ्लोटिंग सौर पीवी परियोजना	25	सिम्हाद्री
6.	कायमकुलम फ्लोटिंग सौर पीवी परियोजना	22	कायमकुलम
7.	कायमकुलम सौर पीवी परियोजना	70	कायमकुलम
8.	जैत्सर सौर पीवी परियोजना	160	जैत्सर
9.	रिहंद सौर पीवी परियोजना	20	रिहंद
10.	औरैया फ्लोटिंग सौर पीवी परियोजना	20	औरैया
11.	देवीकोट सौर पीवी विद्युत परियोजना	150	देवीकोट
12.	शिंभू का का बुर्ज सौर पीवी विद्युत परियोजना	250	शिंभू
13.	नोखरा सौर पीवी विद्युत परियोजना	300	नोखरा
14.	नवलक्कापट्टी सौर पीवी (एट्टायापुरम) विद्युत परियोजना	230	नवलक्कापट्टी
15.	देवीकोट सौर पीवी विद्युत परियोजना	90	देवीकोट
16.	फतेहगढ़ सौर पीवी विद्युत परियोजना	296	फतेहगढ़
17.	संबू की बुर्ज सौर पीवी विद्युत परियोजना	300	संबू
18.	गंधार सौर पीवी विद्युत परियोजना	20	गंधार
19.	कवास सौर पीवी विद्युत परियोजना	56	कवास

**ख) डेवलपर मोड के अंतर्गत एनटीपीसी की चालू परियोजनाओं का विवरण**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अवार्ड की गई क्षमता (मेगावाट)	परियोजना स्थान
1.	सौर पीवी परियोजना	500	अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
2.	भारत में कहीं भी सौर पीवी परियोजना	300	फलोदी, जिला-जोधपुर, राजस्थान
3.	भारत में कहीं भी सौर पीवी परियोजना	300	फतेहगढ़, जैसलमेर, राजस्थान

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1998 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन/चालू पवन विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	अवार्ड की गई क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता ( मेगावाट)
1.	एसईसीआई ट्रैन्च -I	1049.9	0.0*
2.	एसईसीआई ट्रैन्च -II	1000	315.5
3.	एसईसीआई ट्रैन्च -III	2000	1511.2
4.	एसईसीआई ट्रैन्च -IV	2000	2000
5.	टैनजेडको बोली, तमिलनाडु	450	400.5
6.	जीयूवीएनएल बोली, गुजरात	500	36.5
7.	एमएसईडीसीएल बोली, महाराष्ट्र	500	223
8.	एसईसीआई ट्रैन्च -V	1190	1190
9.	एनटीपीसी बोली	200	200
10.	एसईसीआई ट्रैन्च -VI	1200	1200
11.	एसईसीआई ट्रैन्च -VIII	480	480
12.	जीयूवीएनएल बोली फेज-II, गुजरात	202.6	202.6
13.	एसईसीआई ट्रैन्च -VIII	440	440
	<b>कुल</b>	<b>11212.5</b>	<b>8199.3</b>

\* 50 मेगावाट क्षमता की परियोजना रद्द कर दी गई है।

चालू आईएसटीएस- एसईसीआई की निविदाओं के तहत से जुड़ी परियोजनाएं

क्र. सं.	भाग	क्षमता (मेगावाट)	एनओए की तिथि
1	ट्रैन्च -II	315.5	03/11/2017
2	ट्रैन्च -III	1511.2	23/02/2018
3	ट्रैन्च -IV	2000	01/06/2018
4	ट्रैन्च -V	1190	24/10/2018
5	ट्रैन्च -VI	1200	17/06/2019

6	ट्रैन्च -VII	480	19/06/2019
7	ट्रैन्च -VIII	440.8	28/09/2019

\*सूची में चालू/रद्द क्षमता के ब्यौरे शामिल नहीं हैं।

**एसईसीआई की निविदाओं के तहत चालू पवन-सौर हाईब्रिड परियोजनाएं**

क्र. सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	एलओए की तिथि
1	ट्रैन्च -I	840	25/01/2019
2	ट्रैन्च -II	600	18/06/2019

**चालू 1200 मेगावाट आईएसटीएस- एसईसीआई टेंडरों के अंतर्गत आश्वासन दी गई व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति के साथ जुड़ी**

1	1200 मेगावाट आईएसटीएस -VII भारत में आश्वासन दी गई व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति के साथ जुड़ी	1200	26/02/2020
---	---	------	------------

**चालू 400 मेगावाट "चौबीसों घंटे विद्युत"**

1	400 मेगावाट "चौबीसों घंटे विद्युत"	400	04/06/2020
---	------------------------------------	-----	------------

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2000

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

ताप विद्युत पर निर्भरता

2000. श्री निशीथ प्रामाणिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संवहनीय विकास लक्ष्यों की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए गत वर्षों में ताप विद्युत पर हमारी निर्भरता कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : तापीय विद्युत संयंत्रों (जीवाष्म ईंधन आधारित) में उत्पादन कुल ऊर्जा मांग, प्रचालन में लोचनीयता, जल, न्यूक्लियर, नवीकरणीय आदि जैसे अन्य गैर-जीवाष्म ईंधन स्रोतों से उत्पादन जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में तापीय विद्युत संयंत्रों (जीवाष्म ईंधन आधारित) से उत्पादन का प्रतिशत विगत वर्षों में घटा है तथा नवीकरणीय विद्युत पर अधिक बल देने के कारण विगत वर्षों में गैर-जीवाष्म विद्युत के हिस्से में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 (अगस्त, 2020 तक) की अवधि के दौरान जीवाष्म ईंधन और गैर-जीवाष्म ईंधन से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष/यूनिट	कुल तापीय/जीवाष्म विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयू)	कुल उत्पादन में तापीय/जीवाष्म विद्युत का हिस्सा (%)	कुल गैर-जीवाष्म विद्युत उत्पादन (एमयू)	कुल उत्पादन में कुल गैर-जीवाष्म विद्युत का हिस्सा (%)
2015-16	9,43,788	80.4%	2,29,815	19.6%
2016-17	9,94,230	80.1%	2,47,459	19.9%
2017-18	10,37,059	79.3%	2,71,087	20.7%
2018-19	10,72,224	77.9%	3,03,872	22.1%
2019-20	10,42,748	75.1%	3,46,373	24.9%
2020-21 (अगस्त तक)	3,87,177	69.7%	1,68,149	30.3%

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2006

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी संयंत्र की स्थिति

2006. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड के स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों के जिले-वार प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) संयंत्रों के निर्माण की स्थिति क्या है और इस पर कितना व्यय किया जाएगा;
- (ग) क्या संयंत्रों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो किसानों को किस दर से मुआवजा दिया गया है;
- (घ) उक्त संयंत्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ङ) इन संयंत्रों से संयंत्र-वार कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा;
- (च) क्या क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों को सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति करने का कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) सरकार द्वारा ऐसे प्रभावित किसानों के प्रत्येक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनकी जमीन इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एनटीपीसी लिमिटेड परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	परियोजना	जिला	निवेश अनुमोदन लागत (करोड रु. में)
1.	टांडा-II 2x660 मेगावाट (कोयला)	अम्बेडकर नगर	9188.98*
2.	बिलहौर-I-140 मेगावाट (सोलर)	कानपुर नगर	635.55
3.	बिलहौर-II-85 मेगावाट (सोलर)	कानपुर नगर	442.58
4.	औरैया ग्राउंड सोलर-20 मेगावाट	औरैया	92.06
5.	औरैया फ्लोटिंग सोलर-20 मेगावाट	औरैया	100.30
6.	रिहद सोलर-20 मेगावाट	सोनभद्र	98.75
7.	मेजा (जेवी)#-2x660 मेगावाट (कोयला)	इलाहाबाद	9751.00

\* पहले से ही चालू यूनिट-1 सहित।

# उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ संयुक्त उद्यम।

(ग): (i) मेजा, टांडा-11 तथा बिलहौर । तथा 11 परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा पहले से ही किया गया है।

(ii) औरैया (ग्राउंड एवं फ्लोटिंग) सौर तथा रिहंद सौर परियोजनाएं पहले से ही विद्यमान जमीन पर बनाने की योजना है, जिसे औरैया गैस तथा रिहंद (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहित किया गया था । कोई नई जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है।

(iii) भूमि मुआवजे की दर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय की जाती है। एनटीपीसी द्वारा जिला प्रशासन को भूमि मुआवजे की धनराशि, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, किसानों को संवितरित करने के लिए दी गई है।

(घ) एवं (ङ) :

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित परियोजना चालू करने का शेड्यूल
1.	टांडा -11 (660 मेगावाट, यूनिट-2)	2020-21
2.	बिलहौर-1 सोलर (140 मेगावाट)	2020-21
3.	बिलहौर-11 सोलर (85 मेगावाट)	2021-22
4.	औरैया ग्राउंड सोलर (20 मेगावाट)	2020-21
5.	औरैया फ्लोटिंग सोलर (20 मेगावाट)	2021-22
6.	रिहंद सोलर (20 मेगावाट)	2021-22
7.	मेजा (जेवी) (660 मेगावाट, यूनिट-2)	2020-21

(च) एवं (छ): उपभोक्ताओं को परियोजना से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दरों पर की जाती है। चूंकि एनटीपीसी लिमिटेड के अपने संयंत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो कि अधिकतर स्वचालित हैं, एनटीपीसी में रोजगार के सीधे अवसर सीमित हैं। तथापि, एनटीपीसी रिक्तियों की उपलब्धता तथा उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने में प्राथमिकता देता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2021

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

2021. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कई विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ऐसी लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : कोविड-19 लॉकडाउन के कारण परियोजना स्थलों पर लगभग सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत परियोजनाओं के पूर्णता कार्यक्रम में देरी हुई है।

निर्माणाधीन ताप तथा हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं के प्रत्याशित पूर्णता कार्यक्रम सहित उनके ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II पर दिए गए हैं। इसके अलावा, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) श्रेणी के अंतर्गत विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत उन पारेषण परिस्थितियों की सूची, जिनमें देरी हुई है, क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IV पर संलग्न है। इन परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति सीईए की वेबसाइट (पीएसपीएम डिवीजन, सीईए/टीबीसीबी और अंतर्राज्यीय पारेषण रिपोर्ट की पारेषण रिपोर्टों के अंतर्गत [www.cea.nic.in](http://www.cea.nic.in) पर) पर उपलब्ध है।

सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को देश में निर्माण गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाना सुनिश्चित करने और अंतर्राज्यीय तथा अंतःराज्यीय पारेषण नेटवर्क का सुचारु प्रचालन एवं कार्यात्मकता सुनिश्चित करने की सलाह दी है। विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री, उपकरण, कलपुर्जों, उपभोज्यों आदि के अंतरराज्यीय तथा अंतःराज्यीय आवागमन की अनुमति देने की सलाह भी दी गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण चलन शेड्यूल/वाणिज्यिक प्रचालन तिथि
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>					
1	बाढ़ एसटीपीपी-I	बिहार	यू-1	660	दिसंबर-20
			यू-2	660	सितंबर-21
			यू-3	660	अप्रैल-22
2	नबी नगर टीपीपी	बिहार	यू-4	250	फरवरी-21
3	न्यू नबी नगर टीपीपी	बिहार	यू-2	660	जनवरी-21
			यू-3	660	अगस्त-21
4	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	झारखंड	यू-1	660	अक्तूबर-21
			यू-2	660	अप्रैल-22
			यू-3	660	अक्तूबर-22
5	गदरवारा एसटीपीपी	मध्य प्रदेश	यू-2	800	अक्तूबर-20
6	दालीपल्ली एसटीपीपी	ओडिशा	यू-2	800	फरवरी-21
7	नैवेली न्यू टीपीपी	तमिलनाडु	यू-2	500	अक्तूबर-20
8	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	तेलंगाना	यू-1	800	अक्तूबर-21
			यू-2	800	मार्च-22
9	मेजा एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	अक्तूबर-20
10	टांडा टीपीपी स्टे.-II	उत्तर प्रदेश	यू-6	660	मार्च-21
11	घाटमपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	अप्रैल-21
			यू-2	660	अक्तूबर-21
			यू-3	660	मार्च-22
12	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	राजस्थान	यू-1	250	रोका गया
13	बिथनोक टीपीपी	राजस्थान	यू-1	250	रोका गया
14	पतरातु एसटीपीपी	झारखंड	यू-1	800	सितंबर-22
			यू-2	800	मार्च-23
			यू-3	800	सितंबर-23
15	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	ओडिशा	यू-1	250	अप्रैल-21
16	खुर्जा एससीटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	अप्रैल-23
			यू-2	660	सितंबर-23
17	बक्सर टीपीपी	बिहार	यू-1	660	जुलाई-23
			यू-2	660	जनवरी-24
<b>राज्य क्षेत्र</b>					
1	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	आंध्र प्रदेश	यू-1	800	नवंबर-20
2	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	आंध्र प्रदेश	यू-1	800	दिसंबर-20
3	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	राजस्थान	यू-8	660	दिसंबर-20
4	भद्रादरी टीपीपी	तेलंगाना	यू-2	270	अक्तूबर-20
			यू-3	270	जनवरी-21
			यू-4	270	जून-21
5	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)	तमिलनाडु	यू-1	660	दिसंबर-23

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण चलन शेड्यूल/वाणिज्यिक प्रचालन तिथि
6	एन्नोर एससीटीपीपी	तमिलनाडु	यू-1	660	अगस्त-21
			यू-2	660	नवंबर-21
7	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	तमिलनाडु	यू-1	800	जनवरी-21
8	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	तमिलनाडु	यू-1	800	मार्च-23
			यू-2	800	सितंबर-23
9	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	अप्रैल-21
10	येलहांका सीसीपीपी	कर्नाटक	GT+ST	370	नवंबर-20
11	जवाहरपुर एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	फरवरी-22
			यू-2	660	अगस्त-22
12	ओबरा-सी एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	जून-21
			यू-2	660	नवंबर-21
13	यादादरी टीपीएस	तेलंगाना	यू-1	800	अक्टूबर-22
			यू-2	800	अक्टूबर-22
			यू-3	800	जून-23
			यू-4	800	जून-23
			यू-5	800	अक्टूबर-23
14	पंकी टीपीएस एक्सटें.	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	जनवरी-22
15	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	तमिलनाडु	यू-1	660	मार्च-23
			यू-2	660	सितंबर-23
16	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	यू-6	660	जून-22
<b>निजी क्षेत्र</b>					
1	भावनापडु टीपीपी फेज-I	आंध्र प्रदेश	यू-1	660	अनिश्चित*
			यू-2	660	अनिश्चित*
2	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	आंध्र प्रदेश	यू-3	350	अनिश्चित*
			यू-4	350	अनिश्चित*
3	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	छत्तीसगढ़	यू-4	600	अनिश्चित*
			यू-5	600	अनिश्चित*
			यू-6	600	अनिश्चित*
4	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा टीपीपी)	बिहार	यू-1	660	अनिश्चित*
			यू-2	660	अनिश्चित*
			यू-3	660	अनिश्चित*
			यू-4	660	अनिश्चित*
5	बिंजकोट टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-3	300	अनिश्चित*
			यू-4	300	अनिश्चित*
6	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	छत्तीसगढ़	यू-3	660	अनिश्चित*
			यू-4	660	अनिश्चित*
7	सिंघीतराई टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	600	अनिश्चित*
			यू-2	600	अनिश्चित*
8	सलोरा टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-2	135	अनिश्चित*
9	देवरी (विसा) टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	600	अनिश्चित*
10	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	झारखंड	यू-1	270	अनिश्चित*
			यू-2	270	अनिश्चित*

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण चलन शेड्यूल/वाणिज्यिक प्रचालन तिथि
11	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	झारखंड	यू-3	270	अनिश्चित*
			यू-4	270	अनिश्चित*
12	तोरी टीपीपी फेज-I	झारखंड	यू-1	600	अनिश्चित*
			यू-2	600	अनिश्चित*
13	तोरी टीपीपी फेज-II	झारखंड	यू-3	600	अनिश्चित*
14	अमरावती टीपीपी फेज-II	महाराष्ट्र	यू-1	270	अनिश्चित*
			यू-2	270	अनिश्चित*
			यू-3	270	अनिश्चित*
			यू-4	270	अनिश्चित*
			यू-5	270	अनिश्चित*
15	लेंको विदर्भा टीपीपी	महाराष्ट्र	यू-1	660	अनिश्चित*
			यू-2	660	अनिश्चित*
16	नासिक टीपीपी फेज-II	महाराष्ट्र	यू-1	270	अनिश्चित*
			यू-2	270	अनिश्चित*
			यू-3	270	अनिश्चित*
			यू-4	270	अनिश्चित*
			यू-5	270	अनिश्चित*
17	बिजोरा घनमुख टीपीपी	महाराष्ट्र	यू-1	300	अनिश्चित*
			यू-2	300	अनिश्चित*
18	शीरपुर टीपीपी	महाराष्ट्र	यू-2	150	अनिश्चित*
19	गोरजी टीपीपी	मध्य प्रदेश	यू-1	660	अनिश्चित*
20	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	ओडिशा	यू-2	350	अनिश्चित*
21	केवीके नीलांचल टीपीपी	ओडिशा	यू-1	350	अनिश्चित*
			यू-2	350	अनिश्चित*
			यू-3	350	अनिश्चित*
22	लेंको बाबंध टीपीपी	ओडिशा	यू-1	660	अनिश्चित*
			यू-2	660	अनिश्चित*
23	मली ब्राह्मणी टीपीपी	ओडिशा	यू-1	525	अनिश्चित*
			यू-2	525	अनिश्चित*
24	तूतीकोरिन टीपीपी	तमिलनाडु	यू-1	660	अनिश्चित*
25	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	तमिलनाडु	यू-1	525	जनवरी-21
26	हिरनमये एनर्जी लि.	उत्तराखंड	यू-3	150	अनिश्चित*

\* अनिश्चित - वित्तीय संकट तथा विद्युत क्रय करारों की अनुपलब्धता जैसे कारणों के कारण निर्माण गतिविधियां रूक गईं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित आरंभन शेड्यूल
1	2	3	4	5	6
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>					
1	तपोवन विष्णुगुढ (4x130 = 520 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2 3 4	130 130 130 130	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (जून'22)
2	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57	2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
3	रम्मम-III (3x40= 120 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	1 2 3	40 40 40	2023-24 2023-24 2023-24 (जून,23)
4	कमेंग (4x150 = 600 मेगावाट) 2 यूनिटें प्रचालन में ली गईं	केंद्रीय	3 4	150 150	2020-21 2020-21 (दिसंबर'20)
5	टिहरी पीपीएस (4x250 = 1000 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (दिसंबर'22)
6	पारबती - II (4x200 = 800 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2 3 4	200 200 200 200	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (जून,22)
7	सुबानसिरी (8x250 = 2000 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश /असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त'24)
8	तीस्ता चरण VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (08.03.2019 से	सिक्किम	1 2 3 4	125 125 125 125	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरुआत के

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित आरंभन शेड्यूल
1	2	3	4	5	6
	एनएचपीसी द्वारा ली गई परियोजना)				अधीन)
9	विष्णुगढ़ पीपलकोटी (4x111 = 444 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2 3 4	111 111 111 111	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (जून'23)
10	पाकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट)	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3 4	250 250 250 250	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (दिसंबर'25)
11	रातल (4x205+1x30) = 850 मेगावाट	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
12	नैतवारी मोरी (2x30=60 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2	30 30	2022-23 2022-23 (दिसंबर,22)
13	किरू (4x156=624 मेगावाट)	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3 4	156 156 156 156	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25
<b>राज्य क्षेत्र</b>					
14	परनाई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2022-23 2022-23 2022-23 (मार्च,23)
15	लोवर कलनाई 2x24= 48 मेगावाट	जम्मू एवं कश्मीर	1 2	24 24	2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
16	उरी-III (3x33.33 = 100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2021-22 2021-22 2021-22 (जून,21)
17	सावरा कुड्डु (3x37 =111मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	37 37 37	2020-21 2020-21 2020-21 (दिसंबर,20)
18	शाँगटाँग करचम (3x150 = 450 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150	2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च,25)
19	पल्लीवासल 2x30 = 60 मेगावाट	केरल	1 2	30 30	2022-23 2022-23 (दिसंबर,22)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित आरंभन शेड्यूल
1	2	3	4	5	6
20	थोट्टियार (1x30+1x10)= 40मेगावाट	केरल	1 2	30 10	2021-22 2021-22 (मार्च'22)
21	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (मार्च, 23)
22	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट	महाराष्ट्र	1 2	40 40	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
23	व्यासी 2x60=120 मेगावाट,	उत्तराखंड	1 2	60 60	2021-22 2021-22 (सितंबर,21)
24	पोलावराम (12x80 = 960 मेगावाट)	आंध्र प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च,25) (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
25	कुंडा पीएसपी (फेज-I, फेज-II एवं फेज-III) (4x125=500 मेगावाट)	तमिलनाडु	1 2 3 4	125 125 125 125	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24
<b>निजी क्षेत्र</b>					
26	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2022-23 2022-23 (जून 22)
27	टांगनू रामई -I (2x22 = 44 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2	22 22	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
28	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट),	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2021-22 2021-22 (दिसंबर'21)
29	सिंगोल भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट)	उत्तराखंड	1 2 3	33 33 33	2020-21 2020-21 2020-21

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित आरंभन शेड्यूल
1	2	3	4	5	6
					(दिसंबर,20)
30	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट),	उत्तराखंड	1 2	38 38	2023-24 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
31	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
32	रंगित -IV एचई प्रोजेक्ट (3x40 = 120 मेगावाट)	सिक्किम	1 2 3	40 40 40	2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
33	भास्मेय (2x25.5 =51 मेगावाट)	सिक्किम	1 2	25.5 25.5	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
34	रोगनिचू (2x48 =96 मेगावाट)	सिक्किम	1 2	48 48	2020-21 2020-21 (मार्च,21)
35	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	60 60 60	2021-22 2021-22 2021-22 (दिसंबर,21)
36	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	सिक्किम	1 2	33 33	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
37	पानन 4x75= 300 मेगावाट	सिक्किम	1 2 3 4	75 75 75 75	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरुआत के अधीन)
38	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	80 80 80	2025-26 2025-26 2025-26 (नवंबर'25)

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) परियोजनाएं**

क्रम संख्या	पारेषण लाइन का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी
<b>1.0</b>	<b>बहु क्षेत्रीय प्रणाली</b>	
1	पूर्वोत्तर/उत्तर पश्चिमी इंटरकनेक्टर -I परियोजना भाग-क: पूर्वोत्तर -उत्तर/पश्चिमी इंटरकनेक्टर - I भाग-ख: कामेंग एचईपी से विद्युत की तत्काल निकासी के लिए पारेषण प्रणाली भाग ग: लोअर सुबनसिरी एचईपी से विद्युत की तत्काल निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
2	भूटान में मांगदेछू जल-विद्युत परियोजना से विद्युत के अंतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	पीजीसीआईएल
3	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु)-उत्तरी त्रिशूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक)- योजना-I : रायगढ़-पुगलूर 6000 एमडबल्यू एचवीडीसी प्रणाली	पीजीसीआईएल
<b>2.0</b>	<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	
4	टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) से जुड़ी पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
5	12वीं योजना अवधि (भाग-क) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220 केवी स्टेशन का निर्माण	पीजीसीआईएल
6	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXXV	पीजीसीआईएल
7	केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जीआईएस से 400/220 केवी पंचकुला (पीजी) सब स्टेशन के साथ 220/22केवी जीआईएस की स्थापना	पीजीसीआईएल
8	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXXVII	पीजीसीआईएल
9	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
<b>3.0</b>	<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	
10	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना से जुड़ी पारेषण प्रणाली भाग-क - मुंद्रा (यूएमपीपी) की पारेषण प्रणाली भाग-ख-मुंद्रा (यूएमपीपी) के लिए पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण	पीजीसीआईएल
11	बनासकांठा (राधानेसदा) गुजरात में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
12	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXXV	पीजीसीआईएल
<b>4.0</b>	<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	
13	टुमकुर (पावगड़ा) कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली-चरण-II (भाग-क)	पीजीसीआईएल
14	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु)-उत्तरी त्रिशूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक - योजना-III : पुगलूर-त्रिशूर 2000 एमडबल्यू वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली	पीजीसीआईएल
15	नेयवेली, तमिलनाडु में नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टीएस-I (प्रतिस्थापन)(एनएनटीपीएस) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
16	टुमकुर (पावगड़ा) कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली-चरण-II (भाग-ख)	पीजीसीआईएल
17	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु)-उत्तरी त्रिशूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक - योजना-II : पुगलूर छोर में एसी प्रणाली सुदृढीकरण	पीजीसीआईएल
<b>5.0</b>	<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	
18	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -V	पीजीसीआईएल
19	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -XV	पीजीसीआईएल
20	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -XVII (भाग-ख)	पीजीसीआईएल
21	400केवी डी/सी बहरामपुर (पीजी)-भैरामेरा (बांग्लादेश) लाइन (दूसरा सर्किट)-भारत वाला हिस्सा	पीजीसीआईएल
22	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -XX	पीजीसीआईएल
23	सिन्धु में उत्पादन परियोजना से उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली	पीजीसीआईएल
24	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम -XXIII	पीजीसीआईएल
	<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	
25	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-V से जुड़े पीजी निर्माण कार्य	पीजीसीआईएल
26	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-VI से जुड़े पीजी निर्माण कार्य	पीजीसीआईएल

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीसीबीसी) परियोजनाएं

क्र.सं.	पारेषण परियोजना	स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)/बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)	प्रमुख कंपनी/प्रगति स्थिति
1	पूर्वी क्षेत्र ईआरएसएस-XVIII में 765 केवी प्रणाली सुदृढीकरण योजना	मेदिनिपुर-जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड / पीएफसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
2	पूर्वी क्षेत्र ईआरएसएस-XXI में प्रणाली सुदृढीकरण योजना	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
3	नया पश्चिमी क्षेत्र-उत्तरी क्षेत्र 765 केवी अंतर-क्षेत्रीय कॉरिडोर	डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
4	राजस्थान एसईजेड भाग-ग से एलटीए अनुप्रयोगों के साथ जुड़ी पारेषण प्रणाली	पावरग्रिड खेतड़ी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
5	राजस्थान एसईजेड भाग-क से एलटीए अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड/आरईसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
6	राजस्थान एसईजेड भाग-ख से एलटीए अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली	फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड/पीएफसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
7	गुजरात में भुज-II (2000एमडबल्यू) नवीकरणीय परियोजनाओं से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पारेषण प्रणाली	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	पीजीसीआईएल/निर्माणाधीन
8	खरगोन टीपीपी (2x660एमडबल्यू) के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली	खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड /आरईसी	स्टरलाइट पावर टीएल/निर्माणाधीन
9	एनईआर प्रणाली सुदृढीकरण योजना II	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	स्टरलाइट पावर टीएल/निर्माणाधीन
10	गोवा को अतिरिक्त 400kV बिजली और रायगढ़ (तमनार) पूल में उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	गोवा-तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड/पीएफसी	स्टरलाइट पावर टीएल/निर्माणाधीन
11	उडुपी (यूपीसीएल)-कासरगोड डी/सी लाइन के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना	उडुपी कसरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड/आरईसी	स्टरलाइट पावर टीएल/निर्माणाधीन
12	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-XIX (डब्ल्यूआरएसएस-XIX) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-IX	स्टरलाइट ग्रिड 13 लिमिटेड (स्टरलाइट पावर ट्रांस. लिमिटेड की	स्टरलाइट पावर टीएल/निर्माणाधीन

	(एनईआरएसएस-IX)	एक सहायक)/पीएफसी	
13	डबल्यूआरएसएस-21 भाग-ख भुज पीएस में रि-इंजेक्शंस के कारण गुजरात अंतर-राज्यीय प्रणाली में देखी गई ओवर लोडिंग से निजात पाने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	स्टरलाइट ग्रिड 18 लिमिटेड (स्टरलाइट पावर ट्रांस. लिमिटेड की एक सहायक)/पीएफसी	स्टरलाइट पावर टीएल/ निर्माणाधीन
14	दक्षिण क्षेत्र अर्थात वारंगल और चिलकलुरीपेटा-हैदराबाद-कुर्नूल 765 केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय एसी लिंक	वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	एस्सेल इंफ्रा / निर्माणाधीन
15	बबई (आरवीपीएनएल) में सीकर-नीमराणा 400 केवी डी/सी लाइन के एलआईएलओ के साथ उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस XXXVI) में प्रणाली सुदृढीकरण	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लि. /आरईसी	एस्सेल इंफ्रा / निर्माणाधीन
16	एनटीपीसी (ईआरएसएस XIX) के उत्तरी करणपुरा (3x660एमडबल्यू) के लिए तत्काल निकासी	नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लि./आरईसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
17	राजस्थान के जैसलमर जिले के फतेहगढ़ में अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	फतेहगढ़-भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
18	राजस्थान एसईजेड भाग-घ से एलटीए अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड/पीएफसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
19	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली - 21 (डबल्यूआरएसएस-21) भाग-क- भुज पीएस में रि-इंजेक्शंस के कारण गुजरात अंतर-राज्यीय प्रणाली में देखी गई ओवर लोडिंग से निजात पाने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	डबल्यूआरएसएस XXI(क) ट्रांसको लिमिटेड/आरईसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
20	भुज-II, द्वारका और लाकड़िया में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली	लकाडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड/आरईसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
21	जाम खम्बालिया पूर्लिंग स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली और द्वारका में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (1500एमडबल्यू) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खम्बालिया पूर्लिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी का इंस्टॉलेशन	जाम खम्बालिया ट्रांसको लिमिटेड/आरईसी	अडानी टीएल/ निर्माणाधीन
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढीकरण योजना (एनईआरएसएस-VI)	कोहिमा-मैरानी ट्रांसमिशन लिमिटेड /पीएफसी	कल्पतुरु /निर्माणाधीन

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2040

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन तथा पारेषण कंपनियां

2040. श्री तालारी रंगैय्या:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) तथा पारेषण कंपनियों को वितरण कंपनियों से देरी से भुगतान करने पर वसूले जाने वाले अधिभार की सीमा को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर रखने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पाया है कि यद्यपि देश में विगत कुछ वर्षों से ब्याज दरों में कमी आई है, तथापि विलंब से भुगतान करने हेतु अधिभार के लिये लागू दर अधिक (प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत तक) ही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त विसंगति दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): कोविड -19 के प्रभाव के कारण डिस्कॉमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए, सरकार ने दिनांक 20.08.2020 के पत्र के द्वारा पीएफसी और आरईसी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के तहत सभी भुगतानों के लिए प्रति वर्ष 12% से अधिक नहीं, की दर पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) वसूलने के लिए उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है।

**(ग) और (घ):** पिछले कुछ वर्षों में देश में ब्याज की दरों में कमी हुई है। जबकि सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत सीईआरसी द्वारा विनियमित उत्पादन और पारेषण कंपनियों के लिए एलपीएस की दर 18% प्रति वर्ष है, अन्य उत्पादन और पारेषण कंपनियों के लिए दरें पीपीए (विद्युत क्रय करार)/टीएसए (पारेषण सेवा करार) या एसईआरसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हैं, जो पीपीए/टीएसए से पीपीए/टीएसए तथा राज्य दर राज्य भिन्न होती हैं।

**(ङ) :** केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत लागू एलपीएस की दर को 12% प्रति वर्ष तक घटा दिया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, कि उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के तहत किए गए सभी भुगतानों के लिए एलपीएस की घटी दर वसूलने की सलाह दी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2041

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी रियायत

2041. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः  
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः  
श्री श्रीधर कोटागिरीः  
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सरकारी-स्वामित्व वाली वितरण कम्पनियों को प्रदत्त कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी सीमा में एकबारगी रियायत अनुमोदित की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत सरकार ने पावर फाइनेन्स कोरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) उत्पादन कंपनियाँ (जेनको) तथा पारेषण कंपनियाँ (ट्रांसकोज), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के पक्ष में दिनांक 30.06.2020 को मौजूद बकाया देयताओं को समाप्त करने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत अधिरोपित गत वर्षों के राजस्व की 25 प्रतिशत कायशील पूंजी की सीमा से अधिक ऋण देने के लिए एक बारगी छूट का, इस परंतुक के साथ कि 25 प्रतिशत से अधिक के इन ऋणों की गणना उदय के अंतर्गत अधिरोपित कार्यशील पूंजी के विरुद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इन ऋणों की अदायगी नहीं हो जाती है, अनुमोदन कर दिया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2059

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

2059. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 स्थिति से पूर्व और बाद सहित विगत पांच वर्षों के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से बिजली उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक तथा चालू वर्ष 2020-21 (अगस्त, 2020 तक) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों (25 मेगावाट क्षमता तथा उससे अधिक) से उत्पादित विद्युत की मात्रा **अनुबंध-1** में दी गई है। गत वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 को छोड़कर, गत पाँच वर्षों के दौरान, भारत में 25 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है।

कोविड-19 से पूर्व (अप्रैल से अगस्त, 2019) के इन महीनों की तुलना में कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान तथा उसके बाद, अर्थात् अप्रैल से अगस्त, 2020 तक उत्पादित विद्युत की मात्रा **अनुबंध-1** में दी गई है।

इस वर्ष कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में कमी कोविड-19 के प्रभाव के कारण हुई है। तथापि, लॉकडाउन की अवधि के दौरान तथा उसके बाद की गतिविधियों के क्रमिक सामान्यीकरण से अगस्त, 2020 की मांग तथा उत्पादन गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग बराबर है। जैसे-जैसे विद्युत की मांग बढ़ती है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2059 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तथा चालू वर्ष 2020-21 (अगस्त, 2020 तक) के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन का ब्यौरा।

वर्ष	उत्पादन (एमयू में)
2015-16	862015.25
2016-17	910135.81
2017-18	951754.51
2018-19	987681.83
2019-20	961218.23
2020-21(अगस्त तक*)	349772.87

\*अनंतिम

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2059 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

कोविड-19 परिस्थिति के पश्चात् अर्थात् अप्रैल से अगस्त, 2020 तक तथा कोविड-19 से पूर्व इन महीनों (अप्रैल से अगस्त, 2020) के दौरान कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का माह-वार ब्यौरा

क्र.सं.	माह/वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त*
1	2020-21/कोविड-19 के पश्चात्	59122.28	69664.13	70142.52	78336.88	72507.06
2	2019-20/कोविड-19 से पूर्व	87568.3	91647.46	87387.03	80665.1	74306.37
3	गत वर्ष की इस अवधि के दौरान %	67.52	76.01	80.27	97.11	97.58

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2060

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई

2060. श्री राहुल कस्वां:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत विद्युतीकरण का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में जिला-वार इसके अंतर्गत आवंटित, जारी और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की स्थिति क्या है;
- (घ) क्या उक्त योजना को राजस्थान में बंद कर दिया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य मार्च, 2019 तक देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण करना था । 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडबल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर समस्त घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की है । तदनुसार, सात राज्यों ने सूचित किया है कि 31.03.2019 से पहले 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जिनकी पहचान की गई, जो पहले अनिच्छुक थे, उन्होंने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। राज्यों को सौभाग्य के तहत इन घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया है ।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.03.2020 तक, सौभाग्य के शुभारंभ से 2.77 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है ।

(ख) : सौभाग्य के तहत, जिला-वार धनराशि आवंटित या जारी नहीं की जाती है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर-विद्युतीकृत घरों के आंकड़ों के आधार पर, राजस्थान राज्य के लिए 663.39 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। इस योजना के तहत, 31.03.2020 तक सौभाग्य योजना शुरू के बाद से राजस्थान राज्य के लिए निधि के रूप में कुल मिलाकर, 179.34 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है और राजस्थान राज्य ने जारी की गई राशि के उपयोग की सूचना दी है। राजस्थान के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत, जारी और व्यय की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ में रुपए)

संस्वीकृत राशि	31.03.2020 तक जारी किया गया अनुदान				राजस्थान द्वारा व्यय
	2017-18	2018-19	2019-20	Total	
663.39	0.00	102.94	76.40	179.34	179.34

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण सहित देश भर में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तावित सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया था, जिनमें दुर्गम, वन और दूरदराज के क्षेत्र शामिल थे। राज्यों ने सूचित किया है कि राजस्थान सहित पूरे देश में सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव 28.04.2018 तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर, 19,779 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को वर्ष 2014-15 से 28.04.2018 तक विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी गई थी। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई (आरई परियोजनाओं और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के तहत, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से 31.08.2020 तक गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में 48,342 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं जिसमें से 47,274 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार जारी और व्यय की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

इस योजना को राजस्थान राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत राजस्थान राज्य के अनुरोध पर संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अंतिम तारीख को 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2060 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

स्कीम की शुरुआत से अर्थात् 11.10.2017 से 31.03.2020 तक सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान विद्युतीकृत घर	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान विद्युतीकृत किए गए अतिरिक्त घर	गत तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के दौरान विद्युतीकृत किए गए घरों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930	-	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	-	47,089
3	असम	1,745,149	197,807	1,942,956
4	बिहार	3,259,041		3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	29,534	778,931
6	गुजरात	41,317	-	41,317
7	हरियाणा	54,681	-	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	-	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	377,045	-	377,045
10	झारखंड	1,530,708	131,880	1,662,588
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798
12	लद्दाख	10,456	-	10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	-	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	-	1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115
16	मेघालय	199,839	-	199,839
17	मिजोरम	27,970	-	27,970
18	नगालैंड	132,507	-	132,507
19	ओडिशा	2,452,444	-	2,452,444
20	पुडुचेरी	912	-	912
21	पंजाब	3,477	-	3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522
23	सिक्किम	14,900	-	14,900
24	तमिलनाडु	2,170	-	2,170
25	तेलंगाना	515,084	-	515,084
26	त्रिपुरा	139,090	-	139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	788,083	8,768,651
28	उत्तराखंड	248,751	-	248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	-	732,290
<b>कुल</b>		<b>2,62,84,350</b>	<b>13,92,281</b>	<b>2,76,76,631</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2060 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2014-15 से 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बसे हुए जनसंख्या गांवों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,590
2	असम	2,922
3	बिहार	3,247
4	छत्तीसगढ़	1,145
5	हिमाचल प्रदेश	34
6	जम्मू और कश्मीर	138
7	झारखंड	2,744
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	508
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	558
12	मेघालय	1,094
13	मिजोरम	101
14	नागालैंड	88
15	ओडिशा	3,294
16	राजस्थान	497
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,557
19	उत्तराखंड	95
20	पश्चिम बंगाल	22
	<b>कुल</b>	<b>19,779</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 22.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2060 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई (आरई परियोजनाओं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत वितरित अनुदान तथा राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि (31.08.2020 तक) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 (31.08.2020 तक) के दौरान निर्मुक्त निधि (करोड़ रु. में)	व्ययित निधि* (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	534	534
2	अरुणाचल प्रदेश	502	470
3	असम	3,236	3,116
4	बिहार	7,565	7,565
5	छत्तीसगढ़	1,202	1,195
6	गुजरात	505	505
7	हरियाणा	107	107
8	हिमाचल प्रदेश	83	83
9	जम्मू और कश्मीर	671	613
10	झारखंड	3,274	3,246
11	कर्नाटक	1,153	1,151
12	केरल	301	301
13	लद्दाख	47	47
14	मध्य प्रदेश	3,228	3,182
15	महाराष्ट्र	1,223	1,114
16	मणिपुर	266	248
17	मेघालय	409	395
18	मिजोरम	130	120
19	नागालैंड	177	153
20	ओडिशा	3,721	3,502
21	पंजाब	172	153
22	राजस्थान	2,927	2,876
23	सिक्किम	67	56
24	तमिलनाडु	489	489
25	तेलंगाना	232	232
26	त्रिपुरा	444	409
27	उत्तर प्रदेश	12,490	12,337
28	उत्तराखंड	661	563
29	पश्चिम बंगाल	2,507	2,493
30	गोवा	10	10
31	दादरा एवं नगर हवेली	1	1
32	पुदुचेरी	7	6
33	अंडमान निकोबार	3	3
	<b>कुल</b>	<b>48,342</b>	<b>47,274</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2061

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

2061. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति के बारे में सूचना/रिपोर्ट मांगी है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी निधि आवंटित की गई है;
- (घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त मदद हेतु कतिपय राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों नामतः दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को ऑनलाइन वेब पोर्टल क्रमशः [www.ddyugjy.gov.in](http://www.ddyugjy.gov.in) और [www.saubhagya.gov.in](http://www.saubhagya.gov.in) पर संबंधित राज्य डिस्कामों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अद्यतन किया जाता है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में सभी बसे हुए जनगणना गाँवों को 28.04.2018 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(ग): पहले से जारी की गई निधियों के समुपयोजन तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीमों के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। 32,204 करोड़ रुपए तथा 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान क्रमशः डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष अर्थात् 2017-18 से 2020-21 (31.08.2020 तक) में राज्यों/डिस्कामों को संवितरित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी, हां। राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सौभाग्य स्कीम के तहत घरों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 14,178.86 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि संस्वीकृत की गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक (31.08.2020 तक) डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार संवितरित अनुदान

क्र.सं.	राज्यों का नाम	संवितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	356
2	अरुणाचल प्रदेश	309
3	असम	2,185
4	बिहार	4,073
5	छत्तीसगढ़	702
6	गुजरात	324
7	हरियाणा	121
8	हिमाचल प्रदेश	54
9	जम्मू और कश्मीर	671
10	झारखंड	2,938
11	कर्नाटक	938
12	केरल	152
13	लद्दाख	47
14	मध्य प्रदेश	2,010
15	महाराष्ट्र	923
16	मणिपुर	135
17	मेघालय	383
18	मिजोरम	97
19	नागालैंड	107
20	ओडिशा	2,112
21	पंजाब	172
22	राजस्थान	2,328
23	सिक्किम	67
24	तमिलनाडु	302
25	तेलंगाना	195
26	त्रिपुरा	269
27	उत्तर प्रदेश	7,858
28	उत्तराखंड	572
29	पश्चिम बंगाल	1,784
30	गोवा	10
31	दादरा एवं नगर हवेली	1
32	पुदुचेरी	5
33	अंडमान निकोबार	3
	<b>कुल</b>	<b>32,204</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 22.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

11.10.2017 को सौभाग्य योजना के शुभारम्भ से 31.08.2020 तक राज्य-वार संवितरित अनुदान

क्र.सं.	राज्यों का नाम	अनुदान दिया गया (रु. करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	153
2	असम	603
3	बिहार	468
4	छत्तीसगढ़	320
5	हरियाणा	3
6	हिमाचल प्रदेश	4
7	जम्मू और कश्मीर	53
8	झारखंड	157
9	कर्नाटक	39
10	केरल	55
11	मध्य प्रदेश	407
12	महाराष्ट्र	198
13	मणिपुर	84
14	मेघालय	187
15	मिजोरम	41
16	नागालैंड	39
17	ओडिशा	245
18	राजस्थान	222
19	सिक्किम	2
20	तेलंगाना	15
21	त्रिपुरा	245
22	उत्तर प्रदेश	1,412
23	उत्तराखंड	43
24	पश्चिम बंगाल	123
	<b>कुल</b>	<b>5117</b>

\*\*\*\*\*